न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 01/2014

बउनवान

अधिशाषी अभियन्ता, दांयी मुख्य नहर खण्ड–II, सी.ए.डी. चम्बल, अन्ता जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (N.T.P.C.) अन्ता जिला–बारां (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत

उपस्थिति :–1. राजकीय अभिभाषक (प्रार्थी)

2. श्री रमेश चन्द्र गोयल, अभिभाषक (अप्रार्थी)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

आदेश दिनांक– 02.12.2022

प्रार्थी की ओर से जनमॉग वसूली अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि एन.टी.पी.सी. अन्ता को वास्तविक क्लोजर अवधि में 12.5 क्यूसेक के अनुसार वाटर चार्जेज के बिल बनाकर भुगतान हेतु भिजवाये गये लेकिन एन.टी.पी.सी. अन्ता द्वारा MOM वर्ष 1988 के अनुसार ही वाटर चार्जेज का भुगतान किया जा रहा है। इस संदर्भ में महालेखाकार राज0 जयपुर के द्वारा भी ऑडिट आक्षेप लिया गया है कि विभाग को क्लोजर अवधि में 12.5 क्यूसेक के अनुसार वाटर चार्जेज एन.टी.पी.सी. अन्ता से लिया जाना चाहिये। एन.टी.पी.सी. अन्ता से अवधि 4/2000 से 4/2003 तक राशि 48515112/– व अवधि 6/2004 से 3/2010 तक राशि 15271127/– इस प्रकार कुल बकाया राशि 63786239/– वसूल की जानी है। वसूली हेतु विभाग द्वारा एन.टी.पी.सी. अन्ता को अनेक बार पत्र लिखे गये लेकिन प्रत्युत्तर में एन.टी.पी.सी. अन्ता द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा MOM दिनांक 27.12.1988 के अनुसार बिलों की राशि का भुगतान लगातार नियमित रूप से किया जा रहा है। विभाग के निरन्तर प्रयासों के उपरान्त भी एन.टी.पी.सी. अन्ता द्वारा वाटर चार्जेज की कम भुगतान की गई राशि 6.38 करोड का भुगतान नहीं किया गया है। अतः बकाया राशि की वसूली हेतु प्रकरण पेश है।

प्रार्थना पत्र [illegible] रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा बाकीदार/अप्रार्थी के विरूद्ध 6,37,86,239 [illegible] बकाया होने पर अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 03.06.2014 को धारा–4 (प्रपत्र–2) [illegible] पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट, 1952 के तहत राशि 6,37,86,2[illegible] काबिल वसूल होने के संबंध में प्रमाण–पत्र जारी किया गया।

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.12.23 17:56:13 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी को राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत धारा–6 (प्रपत्र–3) में पत्रांक 681 दिनांक 05.06.2014 से इस आशय का नोटिस जारी

किया गया कि आपके विरूद्व इस न्यायालय में जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत रिक्वीजेशन (प्रमाणपत्र) विचाराधीन है, यदि आप उक्त बकाया राशि 6,37,86,239/- रूपये बकाया होने से इन्कार करते है तो आप इस नोटिस की तारीख जब आपको मिले, उस तारीख से 30 दिवस के अन्दर बकाया इन्कारी की याचिका मय आवश्यक दस्तावेज के पेश करे, यदि आप उचित कारण बताने में असमर्थ रहे तो आपसे उक्त राशि की वसूली राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट, 1952 के तहत मूल रकम मय ब्याज 13 प्रतिशत व 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित एक मर्तबा में वसूल की जावेगी। जब तक आप रूपये 6,37,86,239/-रूपये मय ब्याज व कलेक्शन चार्जेज सहित जमा नहीं करा देवे, तब तक आपको अपनी चल-अचल सम्पत्ति या उसका भाग बेचान, दान अथवा अन्य किसी भी तरीके से खुर्द-बुर्द कराने अथवा हस्तान्तरित करने से रोका जाता है। यदि इस बीच में या आपको जब से नोटिस मिले, तब से आपने अपनी जायदाद को छिपाने, हटाने व बेचने की कोशिश की तो इस प्रमाणपत्र का तत्काल निष्पादन कर दिया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी। नोटिस के साथ प्रमाणपत्र धारा-4 राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न की गयी।

न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को जारी नोटिस 05.06.2014 मय प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर अप्रार्थी की ओर से जवाब इस आशय का पेश हुआ कि:-

The Regional Commissioner, Kota had called a meeting at his office on 14.07.2014, wherein CAD and NTPC officials were present to discuss the reléase of wáter for fillingo f NTPC reservoirs in July'14 as the same had become empty and were required to be filled up for running the power station. In this meeting the Regional Commissioner, Kota requested NTPC to make payment in the disputed matter to the extent NTPC considered it payable ie excluding the periods of non supply of wáter.

Accordingly we had examined the demando f CAD. The demand raised for period June 2004 to March 2010 is given month wise and hence verifiable by us. The same has been examined by us and after excluding the months where the canal remained fully closed ie. canal closed for normal operation as well as no request was made by NTPC to reléase the wáter for filling the reservoir, the balance period bills have been reconciled with the payments already made.

The amount dermined as payable for the supply months shown therein is Rs. 31,53,600/-. We are releasing in favor of the Executive Engineer,CAD, Anta by Cheque No. ..., dated 17.07.2014, drawn on Central Bank of India, Anta. The same is enclosed here with this submission.

That the rest of demand for the period 1988 to May 2004 is arbitrary, and provides no details of month wise break up, nor status of canal whether it was open or closed or charged for filling of reservoir on NTPC request is provided. It is shown that the demand raised by CAD is baseless.

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.12.23 17:56:13 IST
Reason: SelfAttested

It is therefore respectfully prayed that the rest of the demand for the period 1988 to May 2004 may kindly be set aside. Any other order/direction, which is in the interest of the humble petitioner and the your honour thinks just and proper in the facts and circumstances of the case may kindly also be passed.

अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब का प्रत्युत्तर प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश हुआ कि दिनांक 01.08.1987 को राजस्थान सरकार की ओर से सी.ए.डी. अधिकारी एवं नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन अन्ता के मध्य दांई मुख्य नहर के किमी. 82.50 से औद्योगिक प्रयोजन हेतु एक अनुबन्ध तैयार किया गया। जिसकी शर्त के अनुसार एन.टी.पी.सी. दांई मुख्य नहर के किमी. 82.50 से 340 क्यूसेक पानी लेगा तथा जल उपयोग प्लान्ट का कूलिंग एवं उर्जा का अर्जन कर पुनः 320 क्यूसेक पानी नहर के 83.5 किमी. के पास वापस डाल देगा। इस प्रकार उपभोक्ता वर्ष में प्रत्येक माह 20 क्यूसेक पानी का उपयोग करेगा। यह उपयोग वर्ष में 10 माह तक करेगा तथा नहर बन्दी के समय 360 क्यूसेक पानी लेकर पुनः 320 क्यूसेक पानी वापिस नहर में डाल देगा। इस प्रकार 40 क्यूसेक पानी का उपयोग 1 माह यानि 11वें महीने में करेगा। जिसे उपभोक्ता नहर बन्दी के समय स्टोरेज टैंक में सुरक्षित रखेगा। इस प्रकार उपभोक्ता 240 क्यूसेक पानी नहर से प्राप्त करेगा। धारा 6 के अनुसार उपभोक्ता को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जलापूर्ति का बिल नहर खण्ड द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा एवं उपभोक्ता को बिल प्राप्त होने के 30 दिन में भुगतान करना होगा। अन्यथा बकाया पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देना होगा। एम.ओ.एम. दिनांक 27.12.88 से नहर निर्धारित एक माह से अधिक अवधि हेतु कार्यालय में संधारित गेज रजिस्टर अनुसार बन्द रही इसलिए नहर बन्द अवधि में जल की लगातार आपूर्ति (स्टोरेज टैंक में जमाकर) के कारण अतिरिक्त जल राजस्व का भुगतान नियमानुसार उपभोक्ता द्वारा किया जाना था, जो नहीं किया गया। इसलिए दिनांक 23.09.1997 के एम.ओ.एम. के अनुसार नहर बन्दी की अवधि एक माह से बढ़ाकर 65 दिन होना तय किया गया था। जिसके लिए दांई मुख्य नहर से 15.50 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देना तय किया गया था। परन्तु वास्तव में नहर बन्दी 65 दिन से अधिक अवधि तक (खण्ड में संधारित गेज रजिस्टर) होने के कारण अतिरिक्त जलापूर्ति 15.50 क्यूसेक की दर से उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना था, जो नहीं किया गया। अतः एन.टी.पी.सी. द्वारा प्रस्तुत जवाब को खारिज कर मांग की गई राशि 6,37,86,239/- दिलाई जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी पर 6.38 करोड की राशि ऑडिट ने बकाया निकाली है। जिसे जमा करवाये जाने के अप्रार्थी को आदेश प्रदान करें।

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.12.23 17:56:13 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 27.12.1988 को हुई मीटिंग में स्टेज I व स्टेज II हेतु पानी के चार्जेज निर्धारित किये गये परन्तु स्टेज I ही चालू है स्टेज II चालू ही नहीं हुई। जिस अवधि में नहर बन्द रही उस अवधि का चार्ज नही होना चाहिये। 1997 का MOM तभी लागू होगा जब II स्टेज चालू होगी। पूर्व की दरें Prevail करेगी।

नहर से पानी नहीं मिलने पर भी ऑडिट द्वारा Recovery कैसे निकाली जा सकती है। प्रार्थी द्वारा निर्धारित दर से दोगुनी दर से राशि बकाया निकाली गई है। प्रार्थी द्वारा वर्ष 1988 से 2000 तक की गणना गलत की गई है। न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अन्ता, लेखाधिकारी, कलेक्ट्रेट, बारां एवं कनिष्ठ विधि अधिकारी, कलेक्ट्रेट, बारां की कमेटी गठित कर रिपोर्ट चाही गई। प्राप्त रिपोर्ट में भी अंकित किया गया है कि "Intermittent Reservoir Filling" के दौरान एनटीपीसी द्वारा दस लाख क्यूबिक मीटर से अधिक पानी का संचयन संभव नहीं है। एनटीपीसी द्वारा वर्ष 1988 से लगातार निर्धारित दर से भुगतान किया जा रहा है। जिस अवधि में नहर नहीं खुली उस अवधि का भुगतान नहीं ले सकते। Public Demand Recovery Act, 1952 के Section 8(3) के तहत The Collector in whose office the certificate was originally filed shall hear and determine the petition and may set aside, modify or vary the certificate, if necessary in accordance with his decisión. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावें।

रिपीटल में अभिभाषक प्रार्थी ने कथन किया कि ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर भुगतान चाहा जा रहा है। जो पानी एनटीपीसी को मिला उसका एनटीपीसी द्वारा उपभोग किया गया। एनटीपीसी द्वारा ऑडिट रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी गई है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर एनटीपीसी को बकाया राशि जमा करवाने के निर्देश प्रदान करें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया। जिससे पाया जाता है कि अप्रार्थी द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक पानी का उपभोग किया तथा सम्पूर्ण राशि जमा नहीं कराई। महालेखाकार जांच दल ने अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट में ऑडिट आक्षेप किया तथा राशि 6,37,86,239/– एनटीपीसी से वसूल किये जाने के निर्देश दिये। प्रार्थी द्वारा इस बाबत लगातार एनटीपीसी से पत्राचार किये जाने के उपरान्त भी राशि जमा नहीं करवाये जाने पर प्रार्थना पत्र जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत रिक्वीजेशन प्रस्तुत कर, उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत रिक्वीजेशन प्रमाणपत्र वसूली योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (N.T.P.C.) अन्ता से राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत राशि 6,37,86,239/–रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अप्रार्थी से उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति मय प्रमाणपत्र धारा–4 अधिशाषी अभियन्ता ... नहर खण्ड–II, सी.ए.डी. अन्ता जिला–बारां एवं जिला र... ... जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.12.23 17:56:13 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 02.12.22 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

जिला कलेक्टर न्यायालय